



REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
BAGANSA BUDHI, BAHARUA

COURT FEE

Authorization No. 2636

"प्ररूप 26"



00000

0000020

374147

19 05 14

7 4 2014

BIHAR

8516 26225711



BIHAR DEO BANDA
REGISTRY BAHARUA BAHARUA



No 1258 Date 07-04-2014

13- मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम).....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं अनवार आलम **पुत्र/पुत्री/पत्नी शकील अहमद
आयु 38 वर्ष, जो गांव - कुसुदह पाँठ - कुसुदह
भागा/अंचल - मधेपुरा जिला - सदरमता

(हाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1) मैं आम आदमी पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

2) मेरा नाम विहार (मधेपुरा) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 223 के क्रम सं. 252 पर प्रविष्ट है।

3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 9472004725 है, मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)..... koshianwarazad@gmail.com है

4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ध्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति:



क्रम सं.	नाम	पैस	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	स्वयं	शु.प्र	शु.प्र	शु.प्र
2.	पति या पत्नी	शु.प्र	शु.प्र	शु.प्र
3.	आश्रित-1	शु.प्र	शु.प्र	शु.प्र
4.	आश्रित-2	शु.प्र	शु.प्र	शु.प्र
5.	आश्रित-3	शु.प्र	शु.प्र	शु.प्र

5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। - नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

1. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। - नहीं

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ध्यौरे	शु.प्र
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शु.प्र
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शु.प्र
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शु.प्र

(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शु.३
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकरी गई है/हैं	शु.३

II. निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है - ०८६

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शु.३
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शु.५
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शु.५
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शु.५
(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शु.३
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकरी गई है/हैं	शु.३

मदद(1) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शु.३
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शु.५
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शु.५

6) मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों)

से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: - **शुभ**

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुभ
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शुभ
(ग)	अधिरोपित दंड	शुभ
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शुभ

7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

आ जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है। **शुभ**

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं। **शुभ**

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए। - **शुभ**

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है। **शुभ**

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं। **शुभ**



क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	हाथ में नकदी	50,000/-	25000/-	शु.य	शु.य	शु.य
ii	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक में जमा रकम	शहरा 211001 बैंक में 25,158.00 बैंक ऑफ इंडिया शहरा 211001 - 222.00 इलाहाबाद शहरा 211001 10,000.00	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य
iii	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य
iv	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य
v	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, ब्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य
vi	मोटरयान/वायुयान/वाट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य
vii	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार ओर मूल्य	शहरा-200310 ली-6 लाख शहरा-500310 60,000	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य




	के ब्यौरे)					
viii	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
ix	समग्र कुल मूल्य	60126600000				

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथक्तरया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
ii	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य					
	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	



	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
iii	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियां)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
iv	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियां)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	सर्वेक्षक संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुद्ध	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्फ	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुल्फ	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्फ	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
v	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुल्फ	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
vi	पूर्वोक्त i से v का कुल चालू बाजार मूल्य	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का प्रत्येक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुल्फ	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुल्फ	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	कोई अन्य दायित्व	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
	दायित्वों का कुल योग	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म
ii	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुल्फ	शु.म	शु.म	शु.म	शु.म



जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
आय-कर शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
धनकर शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
सेवाकर शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
विक्रय कर शोध्य	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
कोई अन्य शोध्य	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
iii सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ
iv क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुल्क	शु.भ	शु.भ	शु.भ	शु.भ

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं..... सजाज सेवा

(ख) प्रति या पत्नी..... सजाज जाड़ी सेविका

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिये अनुसार है:-

आतीस उई पाठ

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें) - बिहार गदरशा बोर्ड परतग

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० अजयार आलम	
2	डाक का पता	ग्राम - कुम्हरे पंच कुम्हरे भाग - महिषी अंचल महिषी जिला - सदरतग	
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	13 (गदरपुर लोक सभा क्षेत्र बिहार)	
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	आज आज़मी पार्टी	
5	i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा अधिप विरचित किए गए हैं	शुन्य	
	ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शुन्य	
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शुन्य	
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	शुन्य	शुन्य



	(ख) पति या पत्नी	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध		
	(क) आश्रित	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपरे में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
ख	स्थावर आस्तियां	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	i स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	iii निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)			शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
9	दायित्व					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध



10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शुल्क	शुल्क	शु.न	शु.न	शु.न
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुल्क	शुल्क	शु.न	शु.न	शु.न
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	विद्यार् मद्रसा बोर्ड से पराई आरिण पास २०१० ई				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोम/डिग्री के पूर्ण प्ररुप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख... 07.04.2014...को सत्यापित किया गया।

अनवार आलम
अभिसाक्षी

अनवार आलम
B.R. Jha
Advocate
15 Dec 12

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं..... 9440047251

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है..... KOSIAMWAR.AZAD@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... अन्वार आलम